

फा. सं.17(17)/2014-आरटीआई

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

आरटीआई प्रकोष्ठ

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 13 जून, 2014

आदेश

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा (4) के तहत स्वप्रेरणा से प्रकटन - नोडल अधिकारी का नामांकन।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत स्वप्रेरणा से प्रकटीकरण के प्रावधान और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 15.04.2013 के का. जा. सं. 1/6/2011-आईआर के तहत परिचालित दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, सुश्री सुधा कृष्णन, संयुक्त सचिव (कार्मिक) को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। अधिकारी का विवरण इस प्रकार है:

सुश्री सुधा कृष्णन,
संयुक्त सचिव (कार्मिक),
कमरा सं. 39-ए,
व्यय विभाग,
वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली-110001
फोन: 23093283
फैक्स: 23092652

ह./

(एस. एम. गुप्ता)

अवर सचिव (आरटीआई)

फोन: 23095602

व्यय विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग/डेस्क

प्रतिलिपि: एनआईसी प्रकोष्ठ, व्यय विभाग को व्यय विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
निदेशक (आईआर) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग।